रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2012/ज्येष्ठ 30, 1934

No. 287] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2012/JYAISTHA 30, 1934

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सा.का.नि. 464(अ).— केंद्रीय सरकार प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य व अंशकालिक सदस्य का वेतन, भत्ते व सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य व अंशकालिक सदस्य का वेतन, भत्ते व सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य व अंशकालिक सदस्य का वेतन, भत्ते व सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 में -

(क) नियम 13 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात: -

"(1) अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य प्रत्येक, बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रतिमास दस हजार रुपए या प्रतिवर्ष एक लाख बीस हजार रुपए की अधिकतम रकम और बोर्ड की समितियों के अधिवेशन के लिए पंद्रह हजार रुपए प्रति मास या एक लाख अस्सी हजार रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पांच हजार रुपए प्रति अधिवेशन की दर से अधिवेशन भत्ता प्राप्त करेगा।"

(ख) नियम 14 - (i) उप-नियम (1) में, परंतुक में, "पाँच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "छह हजार दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) में, परंतुक में, "पाँच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "छह हजार दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 12018/8/2001-बीए (पी)]

सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 10 नवंबर, 2000 के सा.का.नि. संख्या 863(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती रूप से तारीख 01 मार्च, 2006 के सा.का.नि. सं. 126(अ) के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2012

G.S.R. 464(E).— In exercise of the powers conferred by section 32, read with sub-sections (7) and (8) of section 6 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, namely:-

1.(1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, -

(a) in rule 13, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The Chairman and a Part-time Member shall each receive a meeting allowance at the rate of rupees five thousand per meeting subject to a maximum amount of rupees ten thousand per month or rupees one lakh twenty thousand per annum for Board meetings and rupees fifteen thousand per month or rupees one lakh eighty thousand per annum for the meetings of the Committees of the Board".

(b) in rule 14, - (i) in sub-rule (1), in the proviso, for the words "rupees five thousand", the words "rupees six thousand two hundred and fifty " shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), in the proviso, for the words "rupees five thousand", the words "rupees six thousand two hundred and fifty" shall be substituted.

[F.No. 12018/8/2001-BA(P)]

SUPRIYA SAHU, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR number 863(E) dated the 10th November, 2000 and subsequently amended vide G.S.R. 126 (E) dated 1st March, 2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.